उत्तर प्रदेश शासन

ग्राम्य विकास अनुभाग-1

संख्या-231/2015/सी0एम0-97/38-1-2015-10 टी0आर0/2013टी0सी0

लखनऊ: दिनांक: 15 जून, 2015

**<u>कार्यालय-ज्ञाप</u>**

कार्यालय ज्ञाप संख्या-454/38-1-2015-10 टी0आर0/2013 टी0सी0, दिनांक 23.03.2015 द्वारा श्री अर्जुन सिंह, खण्ड विकास अधिकारी, इटावा का खण्ड विकास अधिकारी, सहारनपुर के पद पर किये गये स्थानान्तरण को निरस्त करते हुए श्री सिंह को जनपद- इटावा से स्थानान्तरित करते हुए जनपद- कानपुर देहात में खण्ड विकास अधिकारी के पद पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है ।

**2-** स्थानान्तरित अधिकारी अपने नवीन पद का कार्यभार तत्काल ग्रहण कर तत्संबंधी कार्यभार- प्रमाणक शासन एवं आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ को उपलब्ध करा दें। सम्बन्धित अधिकारी द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर समयान्तर्गत कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में उनके विरूद्ध उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

**उमा कान्त मिश्र**
उप सचिव

<u>संख्या-231/2015/ सी0एम0-97 (1)/38-1-2015 तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(2) आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(3) जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, इटावा/सहारनपुर/कानपुर देहात।
(4) वरिष्ठ कोषाधिकारी, इटावा/सहारनपुर/कानपुर देहात।
(5) सम्बन्धित अधिकारी द्वारा- मुख्य विकास अधिकारी, इटावा।
(6) गार्ड फाईल।

आज्ञा से

**उमा कान्त मिश्र**
उप सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।